statutory provision contained in the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974, the amount under the compulsory deposit scheme has to be necessarily credited into the provident fund accounts of the employees. Once the amount has been so credited, it becomes a part of the Provident Fund account of the employees and fetches the same rate of interest which is admissible on Provident Fund deposits.

(b) It is a fact that premature repayment in cash was allowed, as a very special case, on grounds of extreme hardships to employees affected by devastating floods in 1978 as per Finance Ministry's O.M. No. F 1(12)|CD|78 of the 18th September, 1978. Finance Ministry's aforesaid O.M. does not appear to apply in cases of drought.

(c) and (d) A memorandum has recently been received from Coalfields Labour Union, Hazaribagh. The matter will be disposed of in accordance with the AE (CD) Act, 1974 and other relevant Government Orders framed thereunder.

On-shore drilling in Narasapur (Andhra Pradesh)

2784. SHRI R. SAMBASIVA RAO: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ONGC has recently conducted on-shore drilling in the Narsapur area in Andhra Pradesh; and

(b) if so, what is the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI NAWAL KISHORE SHARMA): (a) and (b) ONGC have so far drilled four wells in Narsapur. Two of these which were drilled in the last two years showed presence of gas.

कोल इंडिया लिमिटेड में दुर्घटनाएं

2785. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० में कम्पनी-वार कितनी दुर्घटनाएं हुई है ;

(ख) उन दुर्घटनाओं में हताहत होने वालों की संख्या कितनी है तथा जो लापता है, उनकी संख्या कितनी है और उनको कितना मुआवजा दिया गया ; और

(ग) क्या यह सच है कि अभी तक उनमें से बहुत से व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान नही हुआ है यदि हां, तो कितनी राशि भुगतान के लिए अभी भी पड़ी हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) वर्ष 1984 के दौरान कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों में 116 घातक और 699 गंभीर दुर्घटनाएं हुई जिनमे 126 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 736 गंभीर रूप से घायल हुए। कंपनी-वार आंकडे निम्नलिखित हैं :—

कंपनी	घातक दुर्घटनाएं	मौतें	गंभीर दुर्घटनाएं	गंभीर रूप से घायल व्यक्ति
ई०को०लि०	28	30	96	107
भा०को०को०लि०	28	28	174	186
से०को०लि०	20	26	60	65
वे०को०लि०	38	40	365	374
ना०ई०को०	2	2	4	4
जोड़	116	126	699	736

किसी खनन दुर्घटना में शामिल किसी भी कामगार के गुम होने अथवा उसकी गिनती नहीं होने का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है ।

मुआवजे की राशि का विनियमन, "कामगार मुआवजा अधिनियम" के प्रावधानों के अनुसार किया जाता हैं और वह राशि उक्त अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त आयुक्तों के पास जमा करा दी जाती है और आयुक्त ही उसका भुगतान करते हैं। उक्त आयुक्तों द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान की निगरानी कोयला कंपनियां नहीं करती हैं और तद्नुसार बकाया राशि का कोई लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं है ।

2786. [*Transferred to the 18th December, 1985*]

उत्पादित कोयले की क्वालिटी

2787. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी (ग्रेड) के कितने-कितने कोयले का उत्पादन किया गया ; और

(ख) कोयले के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई तथा मूल्य वृद्धि के क्या कारण थे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० में कोयले का ग्रेडवार उत्पादन निम्नलिखित रहा है :—

(आंकड़े लाख टनों में)

ग्रेड	1982–83	1983–84	1984–85
1	2	3	4
कोककर			
स्टील ग्रेड—I		3.37	1.56
स्टील ग्रेड—II		27.66	19.21
वाशरी ग्रेड	269.40	237.55	252.22
अर्द्ध कोककर		5.00	5.54
अर्द्ध कोककर (वाशरी ग्रेड)		11.56	10.75
अ-संयुजित वाशरी ग्रेड	74.50	37.48	35.66
अकोककर			
ए	38.00	37.18	34.05
बी	225.61	229.71	233.29
सी	219.24	252.15	259.92
डी	134.60	139.06	160.62